न्यायालय सहायक कलक्टर ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या –41/2020

वादी	प्रतिवादीगण
नींबाराम पुत्र करनाराम जाति पूरोहित निवासी धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर	1. दिनेश पुत्र गेनाराम 2. दिलीप पुत्र गेनाराम 3. लालूदेवी पत्नि प्रागाराम जातियान कलबी निवासीयान धानोल तहसील रानीवाडा 4. रूगनाथसिंह पुत्र परबतसिंह अध्यक्ष, श्री गुरूदतात्रेय गौ सेवा समिति रानीवाडा मुख्यालय धानोल 5. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 6. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी. आई बैंक शाखा धानोल

अन्तर्गत धारा 53, 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

1. वादीया अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. प्रतिवादी संख्या 1व 2 की ओर अधिवक्ता श्री वीरबहादूरसिंह देवडा।
3. प्रतिवादी संख्या 3 की ओर से अधिवक्ता श्री पूखराज विश्नोई
4. प्रतिवादी संख्या 5 राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक 22.10.2021

1. वादी द्वारा प्रतिवादीगण के विरूद्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अंतर्गत धारा 53, 188 बाबत् बंटवाडा व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद पेश किया है। जिसके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा धानोल तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी खाता संख्या 525 खसरा नबंर 1018 रकबा 3.96 हैक्टर किस्म बाराजी दोयम आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में नाबालिंग दिनेश पुत्र गेनाराम संरक्षक पिता गेनाराम हिस्सा 29/198 जाति कलबी साकिन देह खातेदार, नाबालिंग दिलीप पुत्र गेनाराम संरक्षक पिता गेनाराम हिस्सा 29/198 जाति कलबी साकिन देह खातेदार, नीबांराम पुत्र करनाराम हिस्सा 1/3 जाति पुरोहित साकिन देह खातेदार लालुदेवी पत्नि प्रागाजी हिस्सा 1/3 जाति कलबी साकिन देह खातेदार श्री गुरूदत्तात्रेय गौ सेवा समिति रानीवाडा हिस्सा 4/99 खातेदार दर्ज है तथा मौजा धानोल तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी आराजी खाता संख्या 527 खसरा नबंर 1476/1018 रकबा 3.59 हैक्टर किस्म [illegible] दोयम की आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में नाबालिंग दिनेश पुत्र [illegible] संरक्षक पिता गेनाराम हिस्सा 1/6 जाति कलबी साकिन देह खातेदार नींबाराम पुत्र करनाराम हिस्सा 1/3 जाति

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

पुरोहित साकिन देह खातेदार लालुदेवी पत्नि प्रागाजी हिस्सा 1/3 जाति कलबी साकिन देह खातेदार दर्ज है तथा मौजा धानोल तहसील रानीवाडा में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 की सामलाती व संयुक्त खातेदारी की आराजी खाता संख्या 526 खसरा नबंर 1019 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नबंर 1021 रकबा 3.97 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 4.64 हैक्टर की आई हुई है। जिसकी खातेदारी राजस्व रेकर्ड में नाबालिंग दिनेश पुत्र गेनाराम संरक्षक पिता गेनाराम हिस्सा 1/6 जाति कलबी साकिन देह खातेदार नाबालिंग दिलिप पुत्र गेनाराम संरक्षक पिता गेनाराम हिस्सा 1/6 जाति कलबी साकिन देह खातेदार , नाबालिंग दिलीप पुत्र गेनाराम संरक्षक पिता गेनाराम हिस्सा 1/6 जाति कलबी साकिन देह खातेदार नींबाराम पुत्र करनाराम हिस्सा 1/3 जाति पुरोहित साकिन देह खातेदार लालुदेवी पत्नि प्रागाजी हिस्सा 1/3 जाति कलबी साकिन देह खातेदार दर्ज है। खातेदार दिनेश व दिलीप वर्तमान में बालिंग हो गये है। उक्त आराजी में वादी व प्रतिवादीगण 1 से 4 अपने हिस्से माफिक काबिज काश्त है। उक्त आराजी का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच विधिवत बंटवाडा नहीं हुआ है, परन्तु मौके पर बंटवाडा हो चुका है मौके पर वाद पत्र के साथ नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच मौके पर बंटवाडा किया हुआ है। नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' अनुसार वादी का खसरा नबंर 1018 पर आंशिक व 1019 पूर्ण तथा आंशिक खसरा नबंर 1018/1476 पर कब्जा काश्त है, जिसे नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क ए से दर्शाया है जिसमें वादी के कच्चे व पक्के धर बने हुए है तथा विधुत कनेक्शन लिया हुआ है तथा प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का शामलाती कब्जा खसरा नबंर 1076/1018 पर आंशिक तथा खसरा नबंर 1018 पर आंशिक कब्जा काश्त है, जिसे नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क बी से दर्शाया गया है तथा प्रतिवादी संख्या 3 का खसरा नबंर 1021 पर कब्जा काश्त है जिसे नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में मार्क सी बिन्दु पर कब्जा काश्त है तथा प्रतिवादी संख्या 4 का खसरा नबंर 1018/1476 पर कब्जा है।

2. यह कि उक्त आराजी का रेकर्ड में विधिवत बंटवाडा नहीं होने से वादी को उक्त आराजी का विकास करने में बाधा आती है तथा रहवासी धर वगैरा का निर्माण करने में बाधा पैदा होती है। इसलिये वादी ने आज से करीब एक माह पूर्व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को आपसी सहमति से कब्जे काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने में टालमटोल की। उसके बाद आज से दस दिन पुर्व दिनांक 27.9.2020 को पुनः वादी ने प्रतिवादी संख्या 1 से 4 को उक्त आराजी का आपसी सहमति से मौके पर कब्जे काश्त अनुसार राजस्व रेकर्ड में बंटवाडा करवाने का कहा तो प्रतिवादी संख्या 1 से 4 ने उक्त आराजी का आपसी सहमति से बंटवाडा करवाने का मना कर दिया तथा वादी को कहा कि हम आपसी सहमति से बंटवाडा नहीं करवायेगे तथा आपने ज्यादी किया तो हम तुम्हें तुम्हारे कब्जे काश्त की आरजाी से लाठी के बल पर बैदखल कर देगे। इसलिये वादी उक्त सामलाती खातेदारी मौके पर कब्जे काद्यश्त अनुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्ड्स के आधार पर बंटवाडा करवाने अधिकारी होने तथा वादी व प्रतिवादीगण के उक्त अवैध व गैर कानुनी कृत्यों को रूकवाने के अधिकारी होने से वादी की ओर से यह दावा बाबत बंटवाडा खातेदारी आराजी व स्थाई निषेधाज्ञा का पेश हैं। व इस्तदुआ वादी है कि इस [illegible] की डिक्री बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई [illegible] कि यह कि [illegible] मौजा धानोल तहसील रानीवाडा में स्थित आराजी खाता संख्या 525 [illegible] रकबा 3.59 हैक्टर किस्म

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 14:39:01 IST
Reason: SelfAttested

बारानी दोयम एवं खाता संख्या 526 खसरा नबंर 1019 रकबा 0.67 हैक्टर, खसरा नबंर 1021 रकबा 3.97 हैक्टर किस्म बारानी दोयम जुमले रकबा 4.64 हैक्टर का वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 बीच मौके पर कब्जे काश्त अनुसार वाद पत्र के साथ पेश नजरी नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शितानुसार अनुसार वाद पत्र बंटवाडा किया जाकर वादी को वाद पत्र में वर्णित आराजी में नक्शा परिशिष्ट 'अ' में दर्शित मार्क 'ए' हिस्सा वादी के बंट दिया जावे तथा वादी को दिया जाने वाला हिस्सा कुल आराजी का 1/3 हिस्सा है। इसी प्रकार प्रतिवादी संख्या 1 व 2 का शामलाती रूप से प्रतिवादी संख्या 4 सहित कुल आराजी का 1/3 हिस्सा जो नजरी नक्शा में वर्णित मार्क बी स्थान पर दिया जावें तथा अलग–अलग बंट अनुसार 1/3 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 3 को बंट में दिया जावें तथा इसी माफिक राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद व लगान के निर्धारण हेतु तहसीलदार रानीवाडा पर तहरीर जारी की जावे। तथा इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा बहक वादी बरखिलाफ प्रतिवादीगण सादीर फरमाई जावे कि प्रतिवादीगण बाद बंटवाडा वादी के बंट व हिस्से की आराजी में उसके कब्जे काश्त व उपयोग उपभोग में न तो स्वयं कोई दखल करे तथा न ही किसी अन्य से कोई दखल पैदा करावे।

3. वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को समन जारी किये गए। प्रतिवादी संख्या 4 व 6 के समन बाद तामील सम्मन अनुपस्थित होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई। व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से इकबालिया जवाब दिया गया। व प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा काउन्टर क्लेम मय जवाबदावा पेश किया किया जिनमें वाद के तथ्यों को अस्वीकार करते हुए प्रतिदावा पेश किया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा धानोल के खाता संख्या 525 खसरा नम्बर 1018 रकबा 3.96 हेक्टेयर मे से 1/3 हिस्सा में से 0.32 हेक्टेयर बैचान शुदा रकबा घटाकर खाता संख्या 527 के खेत खसरा नम्बर 1476/1018 रकबा 3.59 हेक्टेयर में से 1/3 हिस्सा खाता संख्या 526 के खेत खसरा नम्बर 1019 रकबा 0.67 हेक्टेयर ,खसरा नम्बर 1021 रकबा 3.97 हेक्टेयर कुल रकबा 4.64 हेक्टेयर में से कूल रकबा एकचक में एक ही जगह 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि प्रतिवादी संख्या 3 के बंट में तथा मौजा धामसीन तहसील रानीवाडा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 01 रकबा 0.63 हेक्टेयर में से 0.21 हेक्टेयर रकबा घटाकर शेष रकबा प्रतिवादी संख्या 3 के नाम दर्ज 1/3 हिस्सा की कृषि भूमि मौके पर रास्ते के सुखाधिकार के मद्देनजर रखते हुए कब्जा काश्त व भूमि के उपयोग उपभोग की सुविधानुसार बाई मिट्स एण्ड बाउण्डस के सिद्वान्त के तहत कृषि भूमि के विभाजन की डिक्री जरिये प्रतिदावा बहक प्रतिवादी संख्या 3 बरखिलाफ वादी एंव प्रतिवादी 1 व 2 व 4 सादिर फरमावें। तथा लगान के विभाजन कर तहसीलदार रानीवाडा पर राजस्व रेकर्ड में अमलदरामद करने हेतु तहरीर जारी हो। बाद विभाजन प्रतिवादी संख्या 3 के शांतिपूर्वक कब्जा काश्त में वादी व प्रतिवादी संख्या 1 ,2, 4 स्वयं तथा अन्य व्यक्तियों से बल प्रयोग कर बाधा उत्पन्न कर दखलंदाजी न ही करें, कोई पक्का निर्माण नही करें, तथा प्रतिवादी संख्या 3 के अनुमति के बिना उसके 1/3 हिस्सा की बंटवाडा शुदा कृषि भूमि भूभाग में अवैध प्रवेश नही करे इस अमर की स्थाई निषेधाज्ञा जरिये प्रतिदावा बहक प्रतिवादी संख्या 03 बर खिलाफ वादी व दीगर प्रतिवादीगण सादिर फरमावें।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

4. प्रतिवादी संख्या 3 के जवाब दावा एवं प्रतिदावा के जवाब उल जवाब वादी द्वारा दिया गया जिनके तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि मौजा धामसीन तहसील रानीवाडा की कृषि भूमि खसरा नम्बर 01 रकबा 0.63 हेक्टेयर का सम्पूर्ण रकबा वादी के नाम वर्तमान राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। प्रतिवादी संख्या 3 [illegible]देवी ने मौजा धामसीन के खसरा

नम्बर 1 रकबा 0.63 हेक्टेयर का 1/3 हिस्सा को दिनांक 07.01.2021 को उप पंजीयक रानीवाडा के समक्ष बेचान दस्तावेज कर बैचान दस्तावेज का पंजीयन करवा दिया गया हैं, तथा बाद बैचान खसरा नम्बर 1 रकबा 0.63 हेक्टेयर के पूर्ण हिस्सा 0.63 हेक्टेयर में वादी निम्बाराम राजस्व रेकर्ड में खातेदार दर्ज हैं। पूरा रकबा 0.63 हेक्टेयर वादी निम्बाराम के नाम होने से बंटवाडा की आवश्यकता नहीं हैं। इसलिए प्रतिवादी संख्या 3 लालूदेवी का प्रतिदावा खारीज फरमावें तथा वादी का वाद डिक्री फरमावें।

5. दिनांक 22.09.2021 को न्यायालय द्वारा वादी अधिवक्ता के निवेदन व प्रतिवादी अधिवक्ता की सहमति पर खातेदारो के हक हिस्से अनुसार मौजा धानोल के खसरा नम्बर 1018, 1476/1018, 1019, 1021 रकबा क्रमश 3.96, 3.59, 0.67, 3.97 जूमले रकबा 12.19 हेक्टेयर के मीट्स एण्ड बाउण्ड के जरिये बंटवाडा प्रस्ताव के प्राथमिक डिक्री के आदेश तहसीलदार रानीवाडा को किये गये। तथा तहसीलदार रानीवाडा को पत्रांक/कोर्ट/2021/713 दिनांक 24.09.2021 के द्वारा तहसीलदार रानीवाडा से प्राथमिक डिक्री की पालना मंगवाई गई। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा कब्जा काश्त अनुसार बंटवारा प्रस्तावित कर पत्रांक/राजस्व/2021/825 दिनांक 30.09.2021 से इस न्यायालय को प्रस्तुत किये हैं।

6. तहसीलदार रानीवाडा से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव पर उभयपक्ष अधिवक्ता व राजपेरोकार तहसीलदार रानीवाडा को सुना गया। वादी अधिवक्ता व प्रतिवादी संख्या 1 व 2 के अधिवक्ता द्वारा विभाजन प्रस्ताव अनुसार बंटवाडा किये जाने का निवेदन किया गया। बंटवाडा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया । बंटवाडा प्रस्ताव पर जिस पर वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 3 व प्रतिवादी संख्या 4 की ओर से गौशाला प्रतिनिधी के हस्ताक्षर है। ऐसी स्थिति में कि तहसीलदार रानीवाड़ा से प्राप्त प्राथमिक डिक्री अनुसार बंटवाडा किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है। ऐसी स्थिति में तहसीलदार रानीवाडा द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	निंबाराम पुत्र करणाराम कौम पुरोहित सा. देह खातेदार रहन– आई.सी.आई.सी.आई. शाखा धानोल	1018	3.96	2.18	बा.दो.	हरा	6.54
		1019	0.67	0.67	बा.दो.		2.01
		1476/1018	3.59	1.50	बा.दो.		4.50
	कुल	**3**	–	**4.35**	–	–	**13.05**
2.	दिनेश पुत्र गेना 1/2 हिस्सा , दिलीप पुत्र गेना 1/2 कौम कलबी सा. देह	1018	3.96	1.62	बा.दो.		4.86
		1021	3.97	0.25	बा.दो.		0.75

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

	खातेदार।	1476/1018	3.59	2.00	बा.दो.	गुलाबी	6.00
	कुल	**3**	**—**	**3.87**	**—**	**—**	**11.61**
3	लालूदेवी पत्नि प्रागाजी कौम कलबी सा0 देह खातेदार	1021	3.97	3.72	बा.दो.	आस मानी	11.61
	कुल	**1**	**—**	**3.72**	**—**	**—**	**11.61**
4	नीबाराम पुत्र करणाराम 1/3 कौम पूरोहित, दिनेश पुत्र गेना 1/6, दिलीप पुत्र गेना 1/6, लालूदेवी पत्नि प्रागाजी 1/3 कौम कलबी सा. देह खातेदार नींबाराम रहन– आई.सी.आई.सी.आई. धानोल	1476/1018	3.59	0.09	बा.दो.	लाल	0.27
	कुल	**1**	**—**	**0.09**	**—**	**—**	**0.27**
5	श्री गुरूदत्तात्रेय गौसेवा समिति रानीवाडा।	1018	3.96	0.16	बा.दो.	पीला	0.48
	कुल	**1**	**—**	**0.16**	**—**	**—**	**0.48**

7. उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जाती है।

पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जावे।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाडा जिला–जालोर

निर्णय आज दिनांक 22.10.2021 से सरे इजलाज सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

डिक्री व मुकदमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल्स 6–7, जाब्ता दीवानी)

(civil procedure code, Appendix "D"-1)

अज अदालत सहायक कलेक्टर रानीवाडा जिला जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल आर.ए.एस.

वादीया		प्रतिवादीगण
नींबाराम पुत्र करनाराम जाति पूरोहित निवासी धानोल तहसील रानीवाडा जिला जालोर	बनाम	1. दिनेश पुत्र गेनाराम 2. दिलीप पुत्र गेनाराम 3. लालूदेवी पत्नि प्रागाराम जातियान कलबी निवासीयान धानोल तहसील रानीवाडा 4. रूगनाथसिंह पुत्र परबतसिंह अध्यक्ष, श्री गुरूदतात्रेय गौ सेवा समिति रानीवाडा मुख्यालय धानोल 5. भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा 6. शाखा प्रबन्धक आई.सी.आई.सी.आई बैंक शाखा धानोल

अन्तर्गत धारा 53 188 राज0 काश्त0 अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 41/2020

यह मुकदमा आज इनफिसाल कत्तई रूबरू पक्षकारान व हाजरी वादी की ओर से वकील श्री मोहनलाल विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 1 व 2 की ओर से वकील श्री वीरबहादूरसिंह देवाडा व प्रतिवादी 3 की ओर श्री पूखराज विश्नोई उपस्थित, प्रतिवादी संख्या 5 राजपेरोकार उपस्थित, तथा प्रतिवादी सं0 4 व 6 के विरूद्ध अनुपस्थित रहने से एक पक्षकीय कार्यवाही होने से अनुपस्थित। मनजानिव मुद्रायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि तहसीलदार रानीवाड़ा द्वारा उक्त प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच बंटवारा की अंतिम डिक्री निम्नानुसार जारी की जाती है।

क्र. स	खातेदार का नाम	खसरा नम्बर	रकबा हैक्टे0 में	बंटवाडे में आया रकबा हैक्ट0 में	किस्म	नक्शा ट्रेश में अंकित रंग कलर)	लगान राशि
1.	निंबाराम पुत्र करणाराम कौम पुरोहित सा. देह खातेदार रहन–आई.सी.आई.सी.आई. शाखा धानोल	1018	3.96	2.18	बा.दो.	हरा	6.54
		1019	0.67	0.67	बा.दो.		2.01
		1476/1018	3.59	1.50	बा.दो.		4.50
	कुल	**3**	–	**4.35**	–	–	**13.05**
2.	दिनेश पुत्र गेना 1/2 हिस्सा, दिलीप पुत्र गेना 1/2 कौम कलबी सा. देह खातेदार।	1018	3.96	1.62	बा.दो.	गुलाबी	4.86
		1021	[illegible]	0.25	बा.दो.		0.75
		1476/1018	[illegible]	2.00	बा.दो.		6.00

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested

	कुल	3	—	3.87	—	—	11.61
3.	लालूदेवी पत्नि प्रागाजी कौम कलबी सा0 देह खातेदार	1021	3.97	3.72	बा.दो.	आस मानी	11.61
	कुल	1	—	3.72	—	—	11.61
4.	नीबाराम पुत्र करणाराम 1/3 कौम पूरोहित, दिनेश पुत्र गेना 1/6, दिलीप पुत्र गेना 1/6, लालूदेवी पत्नि प्रागाजी 1/3 कौम कलबी सा. देह खातेदार नींबाराम रहन– आई.सी.आई.सी. आई. धानोल	1476/1018	3.59	0.09	बा.दो.	लाल	0.27
	कुल	1	—	0.09	—	—	0.27
5.	श्री गुरूदत्तात्रेय गौसेवा समिति रानीवाडा।	1018	3.96	0.16	बा.दो.	पीला	0.48
	कुल	1	—	0.16	—	—	0.48

उक्त प्रस्तावित बंटवारे के अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के बीच पृथक पृथक खाते खोलकर एवं मोमीया नक्शा में तरमीम कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करने हेतु तहसीलदार रानीवाड़ा को आदेशित किया जाता है। तथा उक्त बंटवारा अनुसार वादी व प्रतिवादी संख्या 1 से 4 के हक में प्राप्त आराजी के सम्बन्ध में एक दूसरे के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलंदाजी न करे न किसी अन्य से करावें इस आशय की स्थायी निषेधाज्ञा जारी की जाती है। पक्षकारान अपना अपना खर्चा वहन करें। उक्तानुसार अंतिम डिक्री जारी की जाति है।

बशर्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज तारीख 22.10.2021 को जारी की गई।

(प्रकाश चन्द्र अग्रवाल)
सहायक कलेक्टर
रानीवाड़ा जिला–जालोर

मुद्दई	रूपया	पैसा	मुद्दयलाह	रूपया	पैसा
स्टाम्प अर्जीदावा	2	00	स्टाम्प वकालतनामा	2	00
स्टाम्प वकालतनामा	1	00	जवाबदावा	2	00
स्टाम्प वजह सबूत	0	00	स्टाम्प अर्जी	0	00
महनताना वकील	0	00	महनताना वकील	0	00
खर्चा गवाहान	0	00	खर्चा गवाहान	0	00
फीस कमीष्नर	0	00	फीस कमीश्नर	0	00
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	00
मुतफरिक	0	00	मुतफरिक	0	00
मौजाना	3	00	मौजाना	4	00

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2021.11.10 10:39:01 IST
Reason: SelfAttested